

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• रतना पुत्र मांगू जाति जाट निवासी ग्राम गोली तहसील अराई जिला अजमेर राज ।

-प्रार्थी

बनाम

• गुमान पुत्री हजारी जाति जाट निवासी ग्राम गोली तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

-अप्रार्थीगण ।


किस्म मुकदमा- धारा 212 राज.का. अधि. 1955

दर्ज क्रमांक 86 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 9.14....

वकील प्रार्थी :- भवानी सिंह

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05/08/24.....	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी अराई </p>	108
08/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस भुगतान के प.0. खा. रा.प.व. के द्वारा पत्रावली वापस लाने का निर्देश 08/08/2024 को पेश हुई।</p>	109
08/08/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों के खा. रा.प.व. के रिपोर्टिंग की प्रतीक्षा में। अप्रार्थीगणों द्वारा भी खा. रा.प.व. के पत्रावली 08/08/2024 को पेश हुई।</p>	110

महानगर अदालत
जोशी

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.
.....
.....

पत्रावली दिनांक 19/9/14 को पेश हो

WP
उपखण्ड अधिकारी
अरांडे

19/9/14 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. 1

.....
.....

पत्रावली दिनांक 19/9/14 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांडे

21/10/14 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. 1

.....
.....

पत्रावली दिनांक 21/10/14 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांडे

28/11/14 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. 1
मूल वाद का निवारण हो जाने के कारण
उप. 1 में माली पत्र को अंगीकार करने का कोई
विशेष कारण नहीं है। अतः उप. 1 में माली
पत्र को अंगीकार पर शकनीय किता जाता है।
पत्रावली केवल शुद्ध होकर अंगीकार ले रखा।

WP
उपखण्ड अधिकारी
अरांडे (अजमेर)